प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 *लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2018*

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के सिद्धदोष बंदी शिवकुमार तिवारी पुत्र श्री लल्लू तिवारी की दिनांक 09-09-2014 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के केस संख्या-32054/24/4/2014-जेसीडी, दिनांक 11-12-2017 के अनुपालन में मृतक बन्दी के निकटस्थ परिजन को रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की अंतरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3154/मा0अनु0(1)/221-2014, दिनांक 25-01-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के सिद्धदोष बंदी शिवकुमार तिवारी पुत्र श्री लल्लू तिवारी की दिनांक 09-09-2014को हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस संख्या-32054/24/4/2014-जेसीडी, दिनांक 11-12-2017 में की गयी संस्तुति के अनुपालन में मृतक बंदी शिवकुमार तिवारी पुत्र श्री लल्लू तिवारी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारियों को अन्तरिम राहत के रूप में रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष-2017-2018 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते है कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूल कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-2018 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्ष-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस में पारित आदेश दिनांक 11-12-2017 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहाँ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5- महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या:23/2018/ 204जे0(1)/22-5-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक निबन्धक (विधि), मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जी0पीओ0 कम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारियों को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 को दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूली किये जाने हेतु प्रेषित।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4
7- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1
8- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in